

कोई भी क्लिनिकल ट्रायल बिना विधिवत प्रक्रिया के नहीं होगा : सर्वोच्च न्यायालय

स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा क्लिनिकल ट्रायल के संबंध में दायर जनहित याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा एवं न्यायमूर्ति सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई। फरवरी 2012 में दायर इस याचिका पर यह सातवीं सुनवाई थी।

पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए थे कि वे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाकर क्लिनिकल ट्रायल की वैधानिक स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए बैठक करें। उन्होंने सरकार से याचिकाकर्ताओं व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व गैर सरकारी संगठनों से भी उनकी राय लेने को कहा था।

आज याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संजय पारिख ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर दो शपथ पत्रों पर बहस की। एक अतिरिक्त शपथपत्र में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कुल 475 नए रासायनिक इकाइयों (एनसीई) में से केवल 17 को बाजार में बिक्री के लिए अनुमति मिली। यह केवल 4 प्रतिशत बैठती है, लेकिन इन क्लिनिकल ट्रायलों में कुल 2644 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन केवल 80 की मृत्यु का कारण क्लिनिकल ट्रायल को माना जा रहा है। इसी तरह गंभीर रूप से प्रभावित कुल 11972 में से महज 506 को इसके द्वारा प्रभावित बताया जा रहा है। इस दौरान न्यूकेमिकल एंटीटीज/एनएमई के ट्रायल की अनुमति को लेकर 3 जुलाई 2013 से 31 अगस्त 2013 के मध्य कुल 259 आवेदन आए। इसमें से 162 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रायल की अनुमति दे दी।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने अपने पहले के शपथ पत्र में इस ओर ध्यान दिलाया था कि मई रासायनिक इकाइयों (एमसीए) की वजह से सन् 2010 में हुई 164 मौतों की बात स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने स्वयं 26/04/2011 के पत्र में की थी। इसमें से 125 तो केवल बायर की खिरोकजा बेन की वजह से हुई थी। यह बात मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय को लिखे पत्र में कही थी जिसमें स्वीकार किया गया था कि केवल 2010 में ही 617 लोगों की मौत हुई है। इन ट्रायल में अनेक दवा कंपनियां जैसे वायर इली-बिली, फाइजर, सनोफी इंटास, मर्क, बोहरिंगर, एस्ट्राजेनेका, नोवारटी आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य अधिकार मंच के अधिवक्ता संजय पारिख का कहना था कि इन नई रासायनिक इकाइयों का परीक्षण भारतीय नागरिकों पर बिना किसी नियमन और सावधानी बरतए हो रहा है, साथ ही साथ यहां लोगों की गरीबी का भी फायदा उठाया जा रहा है। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की कि इन इकाइयों का परीक्षण देश के लिए लाभदायक नहीं है, अतएव इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय द्वारा 26-04-2011 को लोकसभा सचिवालय को लिखे गए पत्र में 2005 से 2010 तक 1243 वैश्विक क्लिनिकल ट्रायल की

अनुमति की बात कही गई है। इसी क्रम में 6-6 2011 के पत्र में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि मौत के कुल 645 मामलों में से 300 मामलों में जवाब आया है और इन 300 मामलों में से मात्र 2 को मुआवजा मिला है।

न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 10 हफ्तों का समय दिया है कि वे इस दौरान राज्य सरकारों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, याचिकाकर्ताओं एवं गैर सरकारी संगठनों के सुझावों का अध्ययन कर देश में क्लिनिकल ट्रायल के नियामक ढांचे को मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखें।

संजय पारिख भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन एवं भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति जो कि इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता हैं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहस के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संसदीय समिति की 72 वी-रिपोर्ट में यह अनुशंसा कि एचपीवी वेक्सीन को लेकर पाथ, आंध्रप्रदेश एवं गुजरात राज्य सरकारों, आईसीएमआर एवं अन्य सरकारी अफसर जिसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधिकार भी शामिल हैं के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दे। इस मामले में आंध्रप्रदेश के खम्मम जिले की 14091 लड़कियों एवं वडोदरा गुजरात में 10686 लड़कियों पर ट्रायल हुआ था। ये लड़कियां 10-14 वर्ष की थीं और इनमें से 7 की मृत्यु हो गई थी।

न्यू केमिकल इंटीटीज पर प्रतिबंध के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आगामी दो हफ्तों में इसके संबंध में पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, उसी के बाद इस बारे में पुनर्विचार किया जाएगा।

अमूल्य निधि (09425311547)- चिन्मय मिश्र (09893278855), स्वास्थ्य अधिकार मंच, एनडी जयप्रकाश 09968014630, भोपाल गैस पीड़ित महिला सं., अब्दुल जब्बार 09406511720

amulayabhai@gmail.com

visit – www.unethicalelinicaltrial.org